कार्यालय उ0प्र0
डायरी संख्या 555
दिनांक 4-8-14

संख्या : 529 /59-2-2014-21(खा)/2009टी0सी0-II

यो. अ./प्रचार

04.08.14
मु. का. अ.

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 01 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2014

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि की प्रथम चार माह हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या-62/खा0ग्रा0बो0/प्रचार/बजट अनु0 2014-15, दिनांक 06.06.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन हेतु आय-व्ययक में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0. 75,00,000.00 (रू0. पचहत्तर लाख मात्र) में से प्रथम चार माह हेतु धनराशि रू0. 25,00,000.00 (रू0.पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निर्वतन पर रखने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

श्रीमती शशी किरन

1. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. व्यय की तत्कालिक आवश्यकता होने पर धनराशि का आहरण किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जाय।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।
5. निदेशक द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन के वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध हो जायें।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-05 के लेखा शीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर-105-खादी ग्रामोद्योग-07-ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या : 529 (1)/59-2-2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, विभाग संगम पैलेस, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

N.Sw
(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

(h)